

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
आधिसूचना

पटना—15, दिनांक : 5 मई, 2017

संख्या—1/सी०—1025/2016—सा०प्र०—5432/लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण (फेज—I) के व्यावसायिक प्रशिक्षण सत्र की समाप्ति पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष, 2016 बैच के परीक्ष्यमान पदाधिकारियों को उनके द्वारा राज्य सरकार के अधीन पदभार ग्रहण की तिथि से जिला प्रशिक्षण हेतु उनके नाम के समक्ष अंकित जिला में सहायक समाहर्ता एवं सहायक दंडाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया जाता है :—

क्र.	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	पदस्थापन से संबंधित जिला
1	श्री लोकेश मिश्र (2016)	पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)
2	श्री अंशुल अग्रवाल (2016)	पटना
3	श्री ऋषी पाण्डेय (2016)	गया
4	श्री रवि प्रकाश (2016)	कटिहार
5	सुश्री वर्षा सिंह (2016)	मुजफ्फरपुर
6	श्री मुकुल कुमार गुप्ता (2016)	नालन्दा
7	श्री अंशुल कुमार (2016)	समस्तीपुर
8	श्री वैभव चौधरी (2016)	भागलपुर
9	श्री विजय प्रकाश मीणा (2016)	दरभंगा

2. साथ ही, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एकट 2, 1974) की धारा—20 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन उपर्युक्त पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष अंकित जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी नियुक्त किया जाता है। इन सभी पदाधिकारियों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एकट 2, 1974) की धारा—144 के अंतर्गत भी शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

लाल साह
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

ई—मेल /फैक्स

ज्ञापांक:—1/सी०—1025/2016—सा०प्र०—5432/पटना—15, दिनांक: 5 मई, 2017

प्रतिलिपि:— प्रभारी पदाधिकारी, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा— आई० टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/ कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार, बिहार, पटना/ राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/ निबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना/महानिदेशक, बिपार्ड, पटना/श्री विद्या भूषण, उप निदेशक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी—248179(उत्तराखण्ड)(फैक्स—0135—2632350/ई—मेल—adminsec.lbsnna@nic.in) / सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित परीक्ष्यमान पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

लाल साह
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।